

पत्रांक:— सी0एफ0ओ0-न-6(इ0)/2023

दिनांक:— दिसम्बर 31, 2023

सेवा में,

OWNER/MANAGER,
KAYA AYURVEDIC COLLAGE AND RESEARCH CENTER
(BRIJLAL MEMORIAL CHARITABLE SAMITI),
NEAR-BALOT CAMP, SURYA JALA ROAD, BHUJIYAGHAT, NAINITAL,
DISTT-NAINITAL, UTTARAKHAND

विषय:— KAYA AYURVEDIC COLLAGE AND RESEARCH CENTER, (BRIJLAL MEMORIAL CHARITABLE SAMITI), NEAR-BALOT CAMP, SURYA JALA ROAD, BHUJIYAGHAT, NAINITAL, का अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से प्रस्तावित व्यवसायिक भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक के आवेदन पत्र संख्या-41048186 दिनांक-17.11.2022 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के निर्गत आदेश के क्रम में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी मल्लीताल द्वारा स्थल का अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया, तो उक्त KAYA AYURVEDIC COLLAGE AND RESEARCH CENTER, (BRIJLAL MEMORIAL CHARITABLE SAMITI), NEAR-BALOT CAMP, SURYA JALA ROAD, BHUJIYAGHAT, NAINITAL में प्रस्तावित शैक्षणिक संस्थान हेतु आवेदित है जोकि इस कार्यालय को प्रेषित निरीक्षण आख्या के अनुसार वर्तमान में स्थल अग्निजोखिम से सुरक्षित है तथा प्रयोजन हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया तथा मौके पर प्रस्तावित स्थल की अग्नि सुरक्षा मानको/व्यवस्था के अनुसार स्थिति निम्नवत रूप से है।

- 1- प्रश्नगत स्थल मुख्य मार्ग पर स्थित है जहां तक वाहन पहुंच मार्ग उपलब्ध है।
- 2- स्थल के ऊपर से कोई भी उच्च शक्ति की विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है।
- 3- उक्त स्थल पर सैट बैंक उपलब्ध है जिसे मानचित्र के अनुसार नियमानुसार छोड़ा जाना आवश्यक है।
- 4- स्थल के निकट किसी भी प्रकार की ज्वनशील सामग्री/पदार्थ का भण्डारण नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न निर्देश/सुझाव निर्गत किया जाता है।

- 1- प्रस्तावित स्थल में भवन का निर्माण, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011, (संशोधन 2015) **उत्तराखण्ड एवं NBC 2016** के भाग 3, एवं निर्माणोपरान्त भाग 4 के खण्ड-1 में निहित मानकों के अनुसार ही मान्य होगा। भवन का निर्माण मानचित्र के अनुसार ही कराना होगा यदि भवन में कोई बदलाव किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देश पुनः प्राप्त करने होंगे।
- 2- प्रस्तावित स्थल में निर्माणोपरान्त कार्य किए जाने से पूर्व मानको के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किए जाने हेतु **Pre operational** (अग्नि सुरक्षा सुझाव/व्यवस्था) प्रमाण-पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।
- 3- निर्गत प्रमाण-पत्र में दिये गये दिशा-निर्देश का उपयोग किसी अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकेगा।

अतः उपरोक्त निर्देश/सुझाव का अनुपालन किए जाने एवं **प्रभारी अग्निशमन अधिकारी मल्लीताल की संस्तुति आख्या पत्रांक:—न-2-शि0 संस्थान/एफ0एफ0 नैनीताल/23**, के आधार प्रस्तावित व्यवसायिक भवन हेतु अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से स्थल का अनुमोदन किया जाता है।

Pre- Establishment की संस्तुति की जाती है।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
मुख्य नैनीताल (हल्द्वानी) अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)